राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1258/2025

डॉ. रिंकी हाडा

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.01.2025
आदेश की दिनांक : 18.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में सह आचार्य (Physiology) के पद पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर अधिशेष होना मानते हुए स्थानान्तरित किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी सह–आचार्य फिजियोलोजी के पद पर कार्यरत है। उक्त 5 सह–आचार्यों का स्थानान्तरण मेडिकल कॉलेज जयपुर से अन्यत्र किया गया है, जबकि वर्तमान में मेडिकल कॉलेज जयपुर में सह–आचार्य फिजियोलोजी के केवल 4 सह–आचार्य ही अधिशेष हैं। ऐसे में 5 सह–आचार्यों का स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी को अधिशेष होना नहीं माना जा सकता।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए स्थानान्तरित किया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किस कार्मिक को अधिशेष होना माने, यह एक प्रशासनिक निर्णय है। इस प्रकार के प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष